819 812 **1000 Rs.**

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

5

फागु उर्फ फगुना लोहार

[illegible] अजय कुमार अधिवक्ता 29.07.10

[illegible] 1908 की धारा ...46 (1)......1920 के अधीन [illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम (इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची [illegible] 1 क संख्या 23 I A With the Permission [illegible] by S. D. O. Simdega vide [illegible] Case No. 63/2010-11 order dated 5.6.2010 [illegible] नहीं

29.7.10

29.7.10

फागु उर्फ फगुना लोहार

1. लेख्यकारी :- फागु उर्फ फगुना लोहार पिता स्व० बंधना लोहार जाति-लोहरा, पेशा-कृषि, निवासी ग्राम-खिजरी पुरनापानी थाना वो जिला-सिमडेगा (झारखण्ड) .. .. .. बिक्रेता।

शपथ-पत्र संख्या :- 560 | 2010

पेज नं० 2

[illegible] सिमडेगा दि० 29-7-2010

336/10

000893/10

SL/00302/29-7-10

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी
JUL 2010
29.7.10
सिमडेगा

क्रेता आशारानी लकड़ा
पति अविद विलादन लकड़ा
ग्रा. कुरडेग जिला सिमडेगा
निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टाम्प
बाबत . केवाला
कुल 3,880/-
29.7.10
कोषागार लिपिक

N.J. Stamp

1,000 × 3 = 3000/-
500 × 1 = 500/-
100 × 3 = 300/-
20 × 4 = 80/-

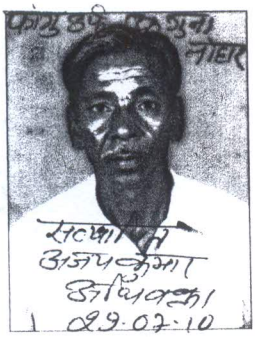

कुल = 3880/-

फागु उर्फ फगुना लोहार
२९.६.१०

29.7.10 10 to 1

आज्ञापत्र के अवर निबन्धक कार्यालय
... में लेख्यकारी द्वारा निष्पादित
... उनके मुख्तार की सन्...
... साबित संख्या,
... के जिला ...
निबन्धक ...
... फागु उर्फ फगुना लोहार
... स्व. बन्धना लोहरा
... खजरी ... सिमडेगा
पुरनापानी खेती
29.7.10

N80
29.7.10

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

2· लेख्यधारी :- श्रीमती आभा रानी लकड़ा पति श्री डेविड विल्सन लकड़ा जाति- उरांव, पेशा- नौकरी, निवासी ग्राम- गरजा , थाना वो जिला-सिमडेगा (झारखण्ड)

·· ·· क्रेतिका भारतीय नागरिक ।

शपथ-पत्र संख्या :- 561/2010

3· लेख्यप्रकार :- बिक्रय-पत्र (केवाला)

4· मूल्य :- मोबलिग 97000/= रू0 सन्तानब्बे हजार रूपये जिसका आधा अड़तालिस हजार पांच सौ रूपये अंके- 48500/= रू0 होता है ।

5· सम्पति :- मौजा खिजरी पुरनापानी, थाना/अंचल-सिमडेगा जिला अवर निबंधन कार्यालय वो जिला सिमडेगा थाना नं0-105 (एक सौ पांच) हाल खाता नं0- 134 (एक सौ चौंतीस) पलाट नं0- 127 (एक सौ सताईश) रकबा 2·86 एकड़ में से 0·10 एकड़ (दस डिसमिल) दर्जा जमीन टांड़ आवासीय ,

पेज नं0 3

27/7/2010

26690

1000Rs.

जिसपर किसी प्रकार का निर्माण कार्य या मकान या पेड़ पौधा नहीं है । मालगुजारी :- 0.05 रु0अलावे सेस सलाने ।

चौहद्दी :- उतर :- टांड़ नीज बिक्रेता
दक्षिण :- घेरा बारी धुता लोहरा
पूरब :- टांड़ इसी पलाट का अंश नीज बिक्रेता ।
पश्चिम :- टांड़ इसी पलाट का अंश नीज बिक्रेता ।

(क) चूंकि मुझे मकान बनवाने की आवश्यकता है , और रूपयों पाने का कोई इन्तजाम नहीं रहने के कारण लेख्यधारिणी से मेरी उपर्युक्त वर्णित सम्पति को खारीदने का आग्रह किया, जिसे वे खारीदना स्वीकार की । अत: मैं ने उक्त जमीन को लेख्यधारिणी से बेचने की अनुमति पाने का आवेदन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत दिया । जिसपर राजस्व वाद संख्या 63/10-11 अंकित किया गया । तथा दिनांक 05.06.2010 को मेमो नं0-497(ii) के द्वारा मुझे अनुमति आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई है ।

23.9.10

-4-

(घ) अत: मैं अपनी स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में उपर्युक्त वर्णित सम्पति का पूरा कीमत लेख्यधारी से पाकर बेच दिया । तथा इस सम्पति का पूरा अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिया ।अब इस सम्पति पर मेरा तथा मेरे किसी भी उतराधिकारी का कोई अधिकार न रहा और न आईन्दे होगा ।

(ग) मैं यह घोषित करता हूँ कि यह सम्पति खतियानी पुरखौती रैयती जमीन है ।तथा मेरे दादा मीरचा लोहार इस खाता के खतियानी रैयत है ।तथा यह सम्पति मुझे उतराधिकार द्वारा ,प्राप्त हुई है,जिसके आधार पर मेरे नाम जमाबंदी कायम हुआ है और मालगुजारी की रसीद मेरे नाम निर्गत होता है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि इस सम्पति पर मेरा निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है ,तथा इस पर कोई ऋण या भार नहीं है ।

मंगरु उर्फ मनु लोहार
28.8.90

100Rs.

(घ) लेख्यधारिणी को उपर्युक्त वर्णित सम्पति पर दखल कब्जा दे दिया । अब लेख्यधारिणी जैसा चाहे अपने उपयोग में लावे ।दाखिल खारिज अपने नाम करवा कर मालगुजारी सरकार को दिया करे ।

इसलिए बिक्रय-पत्र दस्तावेज लिखा दिया कि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

100 Rs.

लेख्यकारी :- मैं यह घोषित करता हूँ कि यह सम्पति भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है। तथा इससे संबंधित कोई मामला मेरे विरूद्ध न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

फागु उर्फ फगुना लोहार

२९.७.१०

फागु उर्फ फगुना लोहार
२९.७.१०

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी श्री फागु उर्फ फगुना लोहार ने अपने बाएँ हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया।

अजय कुमार
अधिवक्ता
29.07.10

100Rs.

लेख्यधारिणी :- मैं घोषित करती हूँ कि इस दस्तावेज के द्वारा प्राप्त भूमि के बाद भी मेरे हिस्से भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है।

आभारानी लकड़ा 29-7-2010

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी श्रीमती आभारानी लकड़ा ने अपने बाएँ हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया। अजय कुमार अधिवक्ता 29.07.10

इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया है। तथा इसके पक्षकारों को पढ़कर सुना वो समझा दिया गया है। जिसे स्वयं भी पढ़कर स्वीकार किये कि सही है।

प्रारूपकर्ता- अजय कुमार अधिवक्ता

अधिवक्ता, सिमडेगा। 29.07.10

[illegible] 29.7.10

20 Rs.

-8-

इस दस्तावेज में कुल ।। पन्नों पर मेरे द्वारा कुल- 610 शब्द टंकित किया गया है, जो खण्डन रहित है। तथा बिक्रीत जमीन का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है, जो इस दस्तावेज का अंश है ।

देवनिस बाड़ा
टंकक :- 29.6.2010 ई०

(देवनिस बाड़ा)
सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा